रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072022-237210 CG-DL-E-09072022-237210

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2981]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ़ 17, 1944
No. 2981]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

# उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3132(अ).—भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण एतदद्वारा यह निर्धारित करता है कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कृषि वस्तुओं को एक रजिस्ट्रीकृत भाण्डागार में भंडारित किया जाएगा, अर्थात –

### सारणी

क्रम सं.	वस्तु
(1)	(2)
1.	हिमशीतित हरी मटर <sup>*</sup>
2.	हिमशीतित फ्रेंच बींस <sup>*</sup>
3.	हिमशीतित फूलगोभी <sup>*</sup>
4.	हिमशीतित पालक*

<sup>\*</sup> इन वस्तुओं के लिए प्रयोगशाला आधारित जांच आवश्यक है।

4610 GI/2022 (1)

2. उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अथवा एगमार्क अथवा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मात्रात्मक विनिर्दिष्टों अथवा मानकों का पालन किया जाएगा:

परन्तु ऐसे मामले में, जहां उन वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अथवा एगमार्क अथवा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानक मौजूद नहीं हैं, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक लागू होंगे।

- 3. ऐसी वस्तुएं जिनके लिए रासायनिक या संबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता है, सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी प्रत्यायित प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्राधिकृत हैं।
- 4. केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं भी उक्त वस्तुओं का परीक्षण कर सकती हैं।

[फा. सं. टी-21032/1/2020-एनआईसी]

जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त/डब्ल्यूडीआरए)

# MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(Warehousing Development and Regulatory Authority)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2022

**S.O. 3132(E).**— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007, the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby determines that the agricultural commodities specified in the Table below shall be stored in a registered warehouse, namely:-

#### **TABLE**

	Name of the commodity
Number	
(1)	(2)
1.	Frozen Green Peas*
2.	Frozen French beans*
3.	Frozen Cauliflower*
4.	Frozen Spinach*

<sup>\*</sup> Commodities need laboratory based testing.

2. The commodities specified in the said Table shall comply with the qualitative specifications or standards of the Bureau of Indian Standards or AGMARK or Food Safety and Standards Authority of India:

Provided that in case, the Bureau of Indian Standards or the AGMARK or the Food Safety and Standards Authority of India standards do not exist for those commodities, quality standards laid down by the Central Government or the State Governments or the Government bodies shall be applicable.

- 3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all AGMARK laboratories, all accredited laboratories notified by National Accreditation Board for Testing and Calibration and laboratories recognized by the Bureau of Indian Standards and Food Safety and Standards Authority of India are authorised for laboratory testing.
- 4. The Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them may also conduct testing of commodities.

[F. No. T-21032/1/2020-NIC] JEETESH SHARMA, Director (Admin & Fin./WDRA)